


मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31/12/2019

क्र. एफ 16-23/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा मेपेक्स फार्मा केयर प्रा.लि.(यूनिट-2) भोपाल द्वारा ग्राम-सिमरई, मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला-रायसेन में लगभग ₹ 300.00 करोड़ के पूंजी निवेश से परसंनल केयर उत्पाद निर्माण परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं के पुनर्विलोकन हेतु अभ्यावेदन को अमान्य करते हुए पूर्व में राज्य शासनादेश क्र. एफ-16-31/2019/ए-ग्यारह दिनांक 14.10.2019 से स्वीकृत सुविधाएं भारत सरकार के कर कानून (The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019) में किए गए परिवर्तन के दृष्टिगत तथा कम्पनी द्वारा उक्त संशोधन में निहित प्रावधानों की पूर्ति करने की शर्त पर परियोजना क्रियान्वयन हेतु नवगठित कम्पनी (एस.पी.व्ही.) मेसर्स मेपेक्स हेल्थ एवं परसंनल केयर प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में निम्न शर्तों पर जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (i) नवगठित कम्पनी निर्धारित प्रक्रियानुसार, शुल्क सहित विधिवत आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- (ii) परियोजना अंतर्गत सड़क परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
- (iii) नीति अन्तर्गत प्राप्त सहायता का पुनर्निवेश प्रदेश में ही नवीन इकाई की स्थापना/इकाई के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में किये जाने संबंधी अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत करेगी।
- (iv) इकाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त शर्तों के संबंध में स्वप्रमाणित पत्र प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(डॉ. राजीव शर्मा)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 31/12/2019

पू.क्र. एफ 16-23/2019/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला रायसेन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स मेपेक्स फार्मा केयर प्रा. लि., ई-7, एचईजी-500 अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग